कार्यालय– सहायक निदेशक मत्स्य, चन्दौली।

पत्रांक– 348 /जलाशय नीलामी/2023–24 दिनांक–26.08.2023

निविदा सूचना (श्रेणी–5 के विभागीय जलाशय/तालाब)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 की ओर से मत्स्य विभाग, उ0प्र0 के प्रबन्धान्तर्गत जनपद चन्दौली के श्रेणी–5 के निम्नलिखित विभागीय जलाशय/तालाब में मत्स्य पालन एवं आखेट हेतु "जहॉं है जैसे है" कि स्थिति में निविदा 10 वर्षो हेतु शासनादेश सं0 765/57–मत्स्य–2000–5(69)/81 दिनांक 08 मार्च 2000, शासनादेश सं0 4948/सत्रह–म–2005–5(69)/81 दिनांक 16 जनवरी 2006 एवं शासनादेश सं0 24/2018/1263/सत्रह–म–2018–5(69)/81 दिनांक 27 अगस्त 2018 में निर्धारित शर्तो के अनुरूप शासनादेश द्वारा गठित निविदा समिति के समक्ष निम्न विवरण के अनुसार निविदा आमन्त्रित की जाती है:–

विभागीय तालाब का नाम	क्षेत्रफल हे0 में	मत्स्य पालन हेतु आखेट अवधि	प्रथम वर्ष हेतु आरक्षित मूल्य (रूपया में)	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खुलने की तिथि एवं समय	बयाने की धनराशि (रूपये)	निविदा खुलने का स्थल	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये)
कमालपुर	1.60	10 मत्स्य वर्ष हेतु	42,900=00	प्रथम तिथि 18.09.2023 समय पूर्वान्ह् 10:30 बजे तक द्वितीय तिथि 21.09.2023 समय पूर्वान्ह् 10:30 बजे तक	प्रथम तिथि 18.08.2023 समय दोपहर 12:30 बजे तक द्वितीय तिथि 21.09.2023 समय दोपहर 12:30 बजे तक	5,000=00	कार्यालय– मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली	50=00
चतुर्भुजपुर	1.40		70,100=00			8,000=00		

मत्स्य वर्ष से तात्पर्य ग्रिगेरियन कैलेण्डर वर्ष की 01 जुलाई से अगले वर्ष के ग्रिगेरियन कैलेण्डर की 30 जून तक, से है।

निविदा की मुख्य शर्ते

1– श्रेणी–5 के विभागीय तालाब का निस्तारण जनपद मुख्यालय पर किया जायेगा। निविदा की प्रकिया में शासनादेश सं0 4948/सत्रह–म–2005–5(69)/61 दिनांक 16 जनवरी 2006 के पात्रता सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

2– विभाग से कय किये गये निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे। विभाग के अभिलेखों में संरक्षित निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे, अनियमित प्रपत्रों पर दी गयी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

3– निविदादाता यदि उसे विभाग से कोई बकाया भुगतान करना हो तो पूर्ण रूप से भुगतान करने पर ही निविदा प्रकिया में भाग ले सकेगा, समिति के ऊपर कोई भी बकाया नहीं होने का एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र मत्स्य विभाग से लेना होगा। काली सूची में दर्ज व्यक्ति को निविदा प्रकिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। व्यक्ति/समिति के ऊपर कोई भी बकाया नहीं होने का एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र मत्स्य विभाग के जनपद अधिकारी से प्राप्त करके निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि बकायेदारी के तथ्यों को छिपाकर निविदा प्रकिया में भाग लेता है, निविदा प्रपत्र पर कटिंग, ओभर राईटिंग या व्हाईटनर प्रयोग की दशा में निविदा समिति पर या अधिकारी पर अनुचित दबाव डालने/डलवाने की दशा में किसी सम्भावित निविदादाता को निविदा प्रकिया में रोककर धमका कर ठेका लिया है तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। अनुबन्ध होने के बाद ठेका सबलैट करने या ऐसे को तथ्य संज्ञान में आते है, जिनका निविदादाता ने उल्लंघन किया तथा पुष्टि होने पर ऐसे अनुबन्ध पत्र में निहित अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

4– मैनुअल निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य जमा कर कय किया जा सकेगा। निविदादाता लिफाफे पर अपना नाम व पता/समिति अपना विवरण अंकित करेंगे। मैनुअल निविदा में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी। निविदा समिति के समक्ष पहले तकनीकी बिड खोली जायेगी तदोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

5– निविदा की प्रथम तिथि 18.09.2023 को उक्त जलाशय नीलाम न होने की दशा में द्वितीय तिथि 21.09.2023 को नीलामी/निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी।

निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्तो एवं अन्य जानकारियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, बिछियाकलां–चन्दौली से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(रवीन्द्र प्रसाद)
सहायक निदेशक मत्स्य
चन्दौली

Scanned with OKEN Scanner